किया ...

आदेश

भेड़ के खसरा नं. 1139/683 रकबा 11.19 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि अप्रार्थी श्री जवानाराम पुत्र रामसुख जाति विश्नोई निवासी भेड़ के खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी का उक्त प्रकरण के सलंग्न टैस नक्शा में अंकित अनुसार अवैध खनन का दोषी साबित हो जाने पर ग्राम भेड़ के खसरा नं. 1139/683 रकबा 11.19 बीघा किस्म बारानी दोयम में से 2 बीघा की टैस नक्शा में अंकित अनुसार अप्रार्थी श्री जवानाराम पुत्र रामसुख जाति विश्नोई निवासी भेड़ की खातेदारी अन्तर्गत धारा 177 (1) के तहत निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार खींवसर को आदेश दिये जाते है की अप्रार्थी को उक्त खातेदारी भूमि से बेदखल कर उक्त भूमि को राजहक में लिया जावें। अप्रार्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः अवेध खनन करते पाये गए तो सम्पूर्ण आराजी की खातेदारी निरस्त करदी जायेगी। उक्त आदेश की पालना तत्काल करने हेतु तहसीलदार खींवसर को तहरीर आज ही जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

नोट:– उक्त खसरान पर किसी भी अन्य न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तोनियमानुसार इसकी पालना कर तीन योम में अवगत करावें।

26.12.16

कुशल कुमार कोठारी
सहायक कलक्टर
खींवसर

निर्णय आज दिनांक 26.12..2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.12.16

कुशल कुमार कोठारी
सहायक कलक्टर
खींवसर

Scanned by CamScanner